क्रम संख्या–125 (छ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 28 मई, 2010 ई0

ज्येष्ठ 07, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

संख्या 481/XIII–1/2010–3(08)/2006

देहरादून, 28 मई, 2010

अधिसूचना

प0 आ0–82

उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक स्वरूप के दृष्टिगत राज्य में कृषि विकास को गति देने कृषकों को कृषि से सम्बन्धित सभी प्रकार के वैज्ञानिक/तकनीकी जानकारियों एवं सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्याओं/जिज्ञासाओं का समाधान उसी स्थान पर सुनिश्चित करने, कृषि में पर्याप्त विविधता, उत्पादन एवं उत्पादकता में उपलब्ध अन्तर को कम करने, उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिगत, निम्नानुसार/संलग्नानुसार कृषि विभाग में सिंगल विण्डो सिस्टम स्थायी रूप से लागू करने तथा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के पदों के पुनर्गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

सिंगल विण्डों सिस्टम–

शासनादेश संख्या–460/XIII/2008–3(8)/2008 दिनांक 14 जुलाई,2008 से अस्थाई रूप से चल रही सिंगल विण्डों सिस्टम को स्थायी रूप से लागू किया गया है, जिसके तहत :–

1. न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक न्याय पंचायत में एक कृषि कर्मचारी जिसका पदनाम सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 अथवा वर्ग–2 रखा गया है, की तैनाती की गयी है। जो वहां पर

जल संरक्षण भूमि संरक्षण, पौध संरक्षण एवं सामान्य कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के साथ–साथ प्रचार प्रसार का कार्य भी करेगा। प्रदेश की कुल 670 न्याय पंचायतों में प्रत्येक में एक–एक सहायक कृषि अधिकारी तैनात किया गया है, जिसके तहत 483 पर्वतीय क्षेत्र की न्याय पंचायतों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 की तैनाती की गयी है तथा 187 तराई /भाबर/मैदानी न्याय पंचायतों में तथा प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय की न्याय पंचायत में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 की तैनाती की गयी है।

2. विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 की तैनाती की गयी है। जो विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त कृषि कार्यों एवं क्षेत्र पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा।

3. विकासखण्ड मुख्यालय पर एक कृषि निवेश केन्द्र होगा जिस पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 की तैनाती गयी है, यह कर्मचारी विकासखण्ड के अन्तर्गत बीज, कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वर्ष की बेलेन्सशीट तैयार करेगा एवं विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त प्रदर्शनों का लेखा–जोखा आदि रखेगा तथा समय–समय पर प्रदर्शनों का निरीक्षण भी करेगा।

(विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतवार पदों का विवरण संलग्नक–1)

4. पूर्व व्यवस्था में 25 जलागम प्रबन्धन इकाईयां स्वीकृत थी। नई व्यवस्था में इनकी संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गयी है तथा इनका नाम परिवर्तित कर सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन के स्थान पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रखा गया है तद्नुसार ही उसके कार्यालय का नाम भी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रखा गया है। पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर का अधिकारी सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धन केवल भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को देखता था। सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत इकाई स्तर का कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी रहेगा। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व में पूर्व सहायक निदेशक, जलागम प्रबन्धकों के दायित्व भी सम्मिलित होंगे। नई व्यवस्था में तहत जो 10 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों की तैनाती की मयी है, उनके लिए पृथक से पद सृजित न करके शासनादेश, संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त, 2003 से मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक निदेशक कृषि प्रसार की नियुक्ति की गयी है। शासनादेश के अनुसार इस पद का नाम परिवर्तित कर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रखा गया है। यह अधिकारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों में तैनात किये गये हैं। 35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों के मुख्यालय, उनके अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों का विवरण **संलग्न–2** इंगित है।

5. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों हेतु पृथक से कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किये गये हैं, बल्कि मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों/कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालयों/पूर्व सहायक निदेशक, जलागम कार्यालयों के स्वीकृत कर्मचारियों में से आवश्यक व्यवस्था बनाते हुए कर्मचारियों की तैनाती की गयी है जिसका विवरण **संलग्न–3** पर इंगित है।

6. मुख्य कृषि अधिकारी जनपद में कृषि का नोडल अधिकारी होगा तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों, विकासखण्ड स्तरीय कर्मचारियों एवं न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियों पर इनका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। जनपद के अन्तर्गत न्याय पंचायतों, विकासखण्डों तथा कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की आवश्यक व्यवस्था उलब्धता के अनुसार एवं कार्य की महत्ता के अनुसार करेगे। कृषि रक्षा अधिकारी का कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय के साथ ही रहेगा। कृषि रक्षा अधिकारी विषय वस्तु विशेषज्ञ के साथ–साथ अन्य कार्यों जैसे समय–समय पर निरीक्षण, प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, क्षेत्र भ्रमण तथा सत्यापन आदि का कार्य भी करेंगे एवं समय–समय पर केन्द्र पोषित योजनाओं आदि के क्रियान्वयन में भागीदारी करेंगे। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय सभी प्रकार के कार्यो का निर्देश, संकलन एवं सूचनाओं के प्रेषण का कार्य करेगा। नई व्यवस्था में मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान में एक अवर अभियन्ता तैनात रहेगा जो पक्के कार्यो का प्लान स्वीकृत करने/जांच/निरीक्षण करने में मुख्य कृषि अधिकारी की सहायता करेगा तथा समय–समय पर मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करेगा। उक्त के अतिरिक्त मुख्य कृषि अधिकारी/उसके अधिष्ठान के पूर्व में निर्धारित कार्यदायित्व यथावत रहेंगे।

सिंगल विण्डों सिस्टम के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्यदायित्व–

1. कार्यदायित्व–शासनादेश सं0 763/XIII–1–2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के द्वारा सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। नई व्यवस्था में अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के पदों का पुनर्गठन किया गया है तथा पदनाम परिवर्तित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश में केवल परिवर्तित पदनामों को वर्ग–1 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, वर्ग–2 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2, वर्ग–3 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 एवं सहायक निदेशक जलागम प्रबन्धक को कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पढ़ा जायेगा। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारियों के मुख्यालय एवं उनके अधीन आने वाले विकासखण्ड एवं न्याय पंचायतों में संशोधन किया गया है जो कि संलग्न–2 पर है। शेष कार्यदायित्व उक्त शासनादेश के अनुसार यथावत रहेंगे।

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के पदों का पुनर्गठन एवं परिवर्तित पदनाम–

1. प्रस्तावित सिंगल विण्डो सिस्टम में अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के कर्मचारियों की तैनाती न्याय पंचायतों तक की गयी है। 670 न्याय पंचायतों हेतु इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर वर्तमान स्वीकृत पदों को कम करते हुए न्याय पंचायतों के लिए 670 पदों की व्यवस्था की गयी है। इस संवर्ग के पूर्व में स्वीकृत 1237 पदों के स्थान पर 1120 पदों से ही नवीन ढॉचा तैयार किया गया है। कार्यदायित्व एवं कार्य प्रवृत्ति के अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के पद नाम (सांख्यिकी एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) निम्नानुसार रखे गये है। जिसमें वर्ग–1 के कर्मचारी को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (अराजपत्रित), वर्ग–2 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 तथा वर्ग–3 को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 पदनाम दिया गया–

क्र0 सं0	वर्ग	पूर्व पदनाम	प्रस्तावित पदनाम
1.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	प्राविधिक सहायक जलागम प्रबन्धन, वरिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी, अपर जिला कृषि अधिकारी, जैविक अपर कृषि प्रसार अधिकारी, जीवनाशी प्रबन्धन प्रभारी, जेष्ठ विपणन निरीक्षक, जेष्ठ रसायनज्ञ प्रयोगशाला प्रभारी, विश्लेषक प्रशिक्षण, वरिष्ठ शोध सहायक वनस्पति/शस्य, वरिष्ठ शोध सहायक, प्रभारी बीज परीक्षण प्रयोगशाला।	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (अराजपत्रित)
2.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	उप जलागम प्रबन्धक, कनिष्ठ कृषि रक्षा पर्यवेक्षक निगरानी, सहायक कृषि विकास अधिकारी, बफर प्रभारी, बीज विधायन सयंत्र प्रभारी, प्रक्षेत्र प्रबन्धक, तिलहन निरीक्षक, वरिष्ठ जीवनाशी प्रबन्धन, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक, मृदा विश्लेषक, सहायक विश्लेषक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ शोध सहायक, शोध सहायक, बीज परीक्षक।	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (अराजपत्रित)
3.	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	सहायक कृषि निरीक्षक, प्रक्षेत्र प्रबन्धक, कृषि प्रसार सहायक, जलागम सहायक, आई.पी.एम./कृषि रक्षा सहायक, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक, सहायक मृदा विश्लेषक, कनिष्ठ शोध सहायक, सहायक बीज परीक्षक	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 (अराजपत्रित)

सिंगल विण्डों सिस्टम में आवश्यकता के अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, 2 एवं 3 के कर्मचारियों के पदों का न्याय पंचायत स्तर तक पुनर्गठन निम्न प्रकार है (इसमें अभियंत्रण एवं सांख्यिकी शाखा के पद सम्मलित नहीं हैं) :–

क्र0 सं0	कार्यालय / प्रयोगशाला / तैनाती स्थान का नाम	वर्ग–1		वर्ग–2		वर्ग–3		योग	
		पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत पद	पुनर्गठन में स्वीकृत पद
1.	निदेशालय	3	12	3	1	–	–	6	13
2.	मण्डल–(2)	4	4	2	–	–	–	6	4
3.	जनपद (13)	39	39	41	9	–	–	80	48
4.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी (35)	25	35	100	35	400	–	525	70
5.	विपणन	6	9	6	7	9	–	21	16
6.	उर्वरक एवं कीटनाशी गुणनियंत्रण प्रयोगशाला (4)	0	10	0	14	–	–	–	24
7.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (जनपदीय 13 क्षेत्रीय–2)	16	15	32	39	26	–	74	54
8.	आई0पी0एम0 प्रयोगशाला (2)	–	4	–	4	–	–	–	8
9.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला (1)	01	2	01	2	2	–	4	4
10.	प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी (1)	10	5	–	2	08	–	18	7
11.	सम्भागीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र(1)	5	3	9	3	3	–	17	6
12.	विकास खण्ड (95)	–	95	190	95	285	–	475	190
13.	कृषि प्रक्षेत्र	–	–	2	6	9	–	11	6
14.	न्याय पंचायत (670)	–	–	0	187	–	483	–	670
योग		109	233	386	404	742	483	1237	1120

नये पुनर्गठन के तहत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 की नियमावली सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग (अराजपत्रित) नियमावली कही जायेगी, जिसमें अभियंत्रण एवं साख्यिकी शाखा सम्मिलित नहीं होंगे। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 में सभी कर्मचारियों की एक ही वरिष्ठता सूची रहेगी। वर्ग–2 से कार्य की दृष्टि से निम्नवत 2 शाखायें रहेंगी–

(क) विकासशाखा, पौध संरक्षण, विपणन आदि के उन सभी कर्मचारियों की जिनका उल्लेख रसायन शाखा में नहीं किया गया है– कृषि विकासशाखा (अराजपत्रित) के नाम से रहेगी।

(ख) उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशला, कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, आई0पी0एम0 प्रयोगशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, परीक्षण एवं प्रर्दशन केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों की–रसायन एवं शोध शाखा (अपराजपत्रित) के नाम से रहेगी।

पुनर्गठन में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर पद एवं उनके कार्यों का उल्लेख **संलग्न–4** है, सिंगल विण्डों सिस्टम का उद्देश्य **संलग्न–5** पर इंगित है तथा वेतनमान संलग्न–6 पर इंगित हैं।

उपरोक्त संशोधन के अलावा अन्य स्थितियां शासनादेश 956/कृषि–1(41)2002, देहरादून दिनांक 2 अगस्त, 2003 के अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 3093/XXVII(7)/2010 दिनांक 28 मई, 2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–1

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के अधीन विकास खण्ड एवं न्याय पंचायतों तथा उन पर तैनात सहायक कृषि अधिकारियों के पदों की संख्या :–

क्र0सं0	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का नाम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधीन विकास खण्डों की संख्या	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड मे एक पद)	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड मे एक पद)	न्याय पंचायतों की संख्या	न्याय पंचायतों सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की संख्या	न्याय पंचायत पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 के पदों की संख्या	योग (4+5+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद–पौड़ी								
1.	पौड़ी	3	3	3	22	3	19	28
2.	सतपुली	3	3	3	25	3	22	31
3.	कोटद्वार	3	3	3	28	3	25	34
4.	धूमाकोट	3	3	3	26	3	23	32
5.	पावौं	3	3	3	17	3	14	23
जनपद–चमोली								
6.	गोपेश्वर	3	3	3	13	3	10	19
7.	कर्णप्रयाग	3	3	3	17	3	14	23
8.	थराली	3	3	3	9	3	6	15
जनपद–रूद्रप्रयाग								
9.	अगस्तमुनी	3	3	3	27	3	24	33
जनपद–टिहरी								
10.	कीर्तिनगर	2	2	2	18	2	16	22
11.	नई टिहरी	2	2	2	18	2	16	22
12.	नरेन्द्रनगर	2	2	2	18	2	16	22
13.	चम्बा	3	3	3	21	3	18	27
जनपद–उत्तरकाशी								
14.	उत्तरकाशी	2	2	2	13	2	11	17
15.	बड़कोट	2	2	2	16	2	14	20
16.	मोरी	2	2	2	7	7	–	11
जनपद–देहरादून								
17.	रायपुर	2	2	2	11	11	–	15
18.	विकासनगर	2	2	2	18	1	17	22
19.	सहसपुर	2	2	2	11	11	–	15

क्र0सं0	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का नाम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अधीन विकास खण्डों की संख्या	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड मे एक पद)	विकास खण्डों में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की सं0 (प्रत्येक विकास खण्ड मे एक पद)	न्याय पंचायतों की संख्या	न्याय पंचायतों सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के पदों की संख्या	न्याय पंचायत पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 के पदों की संख्या	योग (4+5+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनपद–हरिद्वार								
20.	रूड़की	3	3	3	26	26	–	32
21.	हरिद्वार	3	3	3	20	20	–	26
जनपद–उधमसिंहनगर								
22.	रूद्रपुर	3	3	3	13	13	–	19
23.	काशीपुर	4	4	4	14	14	–	22
जनपद–नैनीताल								
24.	हल्द्वानी	3	3	3	16	13	3	22
25.	भीमताल	2	2	2	13	2	11	17
26.	धारी	3	3	3	15	3	12	21
जनपद–अल्मोड़ा								
27.	अल्मोड़ा	3	3	3	27	3	24	33
28.	भिकियासैंण	3	3	3	27	3	24	33
29.	रानीखेत	3	3	3	29	3	26	35
30.	बाडेछीना	2	2	2	12	2	10	16
जनपद–बागेश्वर								
31.	बागेश्वर	3	3	3	35	3	32	41
जनपद–पिथौरागढ़								
32.	पिथौरागढ़	3	3	3	24	3	21	30
33.	डीडीहाट	3	3	3	21	3	18	27
34.	बेरीनाग	2	2	2	19	2	17	23
जनपद–चम्पावत								
35.	लोहाघाट	4	4	4	24	4	20	32
कुल		95	95	95	670	187	483	860

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–2

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के मुख्यालय एवं उसके अधीन विकास खण्डों का विवरण

क0 सं0	जनपद का नाम	पूर्व स्थापित इकाई का नाम/मुख्यालय	सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय का मुख्यालय	कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी के अधीन विकासखण्ड
1	पौडी	पौडी	पौड़ी	पौड़ी, कोट, कल्जीखाल
		सतपुली	सतपुली	पोखरा,, ऐकेश्वर, जहरीखाल
		दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा, यमकेश्वर,द्वारीखाल
		कोटद्वार	धूमाकोट	नैनीडॉडा, विरोंखाल, रिखणीखाल
			पावौं	खिर्सू, पॉवों, थलीसैण
2	चमोली	गोपेश्वर	गोपेश्वर	घाट दसोली, जोशीमठ
		कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग, गैरसेण, पोखरी
			थराली	नारायणबगड़, देवाल, थराली
3	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनी	ऊखीमठ, जखोली, अगस्तमुनी
4	टिहरी	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर, देवप्रयाग
		नई टिहरी	नई टिहरी	जाखड़ीधार, भिलंगना
		नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर, थत्यूड़
			चम्बा	प्रतापनगर, चम्बा, थौलधार
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	डुण्डा, भटवाड़ी
		बड़कोट	बड़कोट	नौगॉव, चिन्यालीसौड़
			मोरी	मोरी, पुरोला
6.	देहरादून	कालसी	रायपुर	डोईवाला, रायपुर
		विकासनगर	चकराता	कालसी, चकराता,
			सहसपुर	विकासनगर, सहसपुर
7.	हरिद्वार	रूड़की	रूड़की	नारसन, रूड़की, भगवानपुर,
			हरिद्वार	लक्सर, बहादराबाद, खानपुर
8.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर	रूद्रपुर	खटीमा, सितागंज, रूद्रपुर
			काशीपुर	काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर
9.	नैनीताल	हल्द्वानी	हल्द्वानी	हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग
		भीमताल	भीमताल	भीमताल, बेतालघाट,
			धारी	धारी, ओखलकॉड़ा, रामगढ़
10.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	हवालबाग, लमगड़ा, ताकुला
		ताड़ीखेत	भिकियासैंण	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैण
		रानीखेत	रानीखेत	रानीखेत, चौखटिया, द्वाराहाट
			बाडेछीना	भैसियांछाना, धौलादेवी
11.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर, गरूड़, कपकोट
12.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	विण, मुनाकोट, कनालीछीना
		डीडीहाट	डीडीहाट	धारचुला, मुनस्यारी, डीडीहाट
			बेरीनाग	बेरीनाग, गंगोहाट
13.	चम्पावत	लोहाघाट	लोहाघाट	लोहाघाट, पाटी, चम्पावत, बाराकोट
योग	13	25	35	95

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–3

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय हेतु पदों की व्यवस्था–

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर सहायक निदेशक जलागम प्रबन्धन कार्यालयों हेतु कुल स्वीकृत पदों की संख्या	35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों हेतु कुल पद	प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय हेतु पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी श्रेणी–2	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त, 2003 के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में सहायक निदेशक, कृषि प्रसार तैनात किये गये थे। इन सहायक निदेशक, कृषि प्रसार को 10 नव सृजित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।
2	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	25 पद	35 पद	1 पद	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2, एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के पुनर्गठन के अनुसार।
3	अवर अभियन्ता	50 पद	35 पद	1 पद	प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में एक पद कुल 35 पद, मुख्य कृषि अधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं चम्पावत प्रत्येक में एक–एक पद तथा जनपद–पौड़ी एवं अल्मोड़ा में दो–दो पद।
4	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	100 पद	35 पद	1 पद	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2, एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के पुनर्गठन के अनुसार।
5	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	400 पद	–	–	अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग–1, 2, एवं वर्ग–3 (सांख्यिकीय एवं अभियंत्रण शाखा को छोडकर) के पुनर्गठन के अनुसार।
6	सहायक लेखाकार/ लेखाकार	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या– 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 2 अगस्त, 2003 के द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों– चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत हेतु स्वीकृत पदों में से प्रत्येक जनपद में से एक–एक पद कुल 10 पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किये गये हैं।
7	मुख्य सहायक	–	35 पद	1 पद	पूर्व में विभागीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2003 के द्वारा इकाईयों पर मुख्य सहायक का पद सृजित नहीं था। पुनः मिनीस्ट्रीयल सम्वर्ग के पुनर्गठन शासनादेश संख्या–720/XIII (1)/2008–1 (41)/

क्र0 सं0	पदनाम	पूर्व व्यवस्था में इकाई स्तर सहायक निदेशक जलागम प्रबन्धन कार्यालयों हेतु कुल स्वीकृत पदों की संख्या	35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालयों हेतु कुल पद	प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय हेतु पदों की संख्या	अभ्युक्ति
					2002 दिनांक 22.10.08 के अनुसार 25 पद स्वीकृत किये गये हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्या0, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पौड़ी, एवं पिथौरागढ़ प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
8	प्रवर सहायक	25 पद	35 पद	1 पद	शासनादेश संख्या–720/XIII (1)/2008–1 (41)/2002 दिनांक 22.10.08 के अनुसार 25 पद स्वीकृत हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्या0, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, पौड़ी, एवं पिथौरागढ़ प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
9	कनिष्ठ सहायक	–	35 पद	1 पद	पूर्व में विभागीय पुनर्गठन शासनादेश संख्या 956/कृषि–1(41)/2002 देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2003 के द्वारा इकाईयों पर कनिष्ठ सहायक के 50 पद स्वीकृत थे। पुनः मिनीस्ट्रीयल सम्वर्ग के पुनर्गठन शासनादेश संख्या–720/XIII (1)/2008–1 (41)/2002 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार 50 के स्थान पर 25 पद स्वीकृत किये गये हैं, शेष 10 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्या0, टिहरी, उत्तरकाशी देहरादून, चमोली, नैनीताल, उधमसिंहनगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं बागेश्वर प्रत्येक से एक–एक पद कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में तैनात किया गया है।
10	मानचित्रक	25 पद	35 पद	1 पद	10 पदों पर वरिष्ठ एवं योग्यता धारक अनुरेखकों को पदोन्नत किये जायेंगे।
11	अनुरेखक	25 पद	–	–	अनुरेखों के 10पद मानचित्रक के पद पर पदोन्नत किये जायेंगे, शेष 15 पद मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालयों में तैनात किये जाय। जिसमें पौड़ी एवं अल्मोड़ा में दो–दो एवं शेष 11 जनपदों मे एक–एक संबद्ध किये जायेंगे।
12	ड्राइवर	25 पद	35 पद	1 पद	आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा।
13	चतुर्थ श्रेणी	100 पद	100 पद	3 अथवा 2 पद	काशीपुर, रूद्रपुर, हरिद्वार, रूड़की एवं सहसपुर में दो–दो पद तथा शेष इकाईयों में तीन–तीन पद।

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–4

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 के पदों का अधिष्ठानवार विवरण एवं कार्य

क्र0 सं0	अधिष्ठान कार्यालय	पद	कार्य
वर्ग–1 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1			
1.	निदेशालय	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (बीज) **1 पद**	जनपदों से प्राप्त बीजों की मांग का संकलन करना, संकलित मांग को आवश्यक व्यवस्था हेतु उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, प्रदेश की आवश्यकतानुसार बीज की आपूर्ति/क्रय हेतु आदेश निर्गत कराना, क्रय बीजों को जनपद की मांगों के अनुसार उन्हें आंवटित करना एवं खरीफ रबी में जोनल नेशनल कान्फ्रेंस हेतु रिपोर्ट तैयार करना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख रखना प्रक्षेत्रों हेतु बीजों की व्यवस्था प्रक्षेत्रों उत्पादन पर संकलित करना, प्रक्षेत्रों का लाभ हानि का ब्यौरा रखना, विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से प्राप्त ट्रायल का ब्यौरा रखना उसके परिणाम उच्चाधिकारियों एवं बीज विमोचन कमेटी के सम्मुख रखना आदि बीजों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
		2. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (उर्वरक) **1 पद**	प्रदेश की मांग को एकत्रित करना, मांग के अनुसार उर्वरक की उपलब्धत की स्थिति अधिकारियों के सम्मुख रखना, उर्वरक उत्पादकों एवं बर्फर स्टाकिस्टों एवं उनकी क्षमता का विवरण रखना, प्रदेश के थोक एवं खुदरा व्यापारियों का विवरण रखना, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वितरित उर्वरक पर उनके अनुदान बिलों को सत्यापित कर स्वीकृति हेतु रखना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना आदि। खरीफ, रबी एवं जायद पूर्व लक्ष्यों का निर्धारण, क्षेत्र आछादन आदि के लक्ष्यों का निर्धारण एवं पूति का संकलन करना।
		3. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (जैविक कृषि, दैवी आपदा आदि) **1 पद**	जैविक कृषि के अन्तर्गत संचालित सभी प्रकार के कार्यक्रमों का विवरण रखना शासन/केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों को जारी कराना, क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना, जैविक कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्य, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना आदि। वर्षा के आंकडों का रखरवाव सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से सम्बन्धित सूचना का संकलन।
		4. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (कृषि रक्षा) **1 पद**	जनपदों की कीट एवं रोगनाशकों रसायनों एवं जैविक कीट रोगनाशकों की मांग संकलित करना उसे उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय–समय पर रसायनों के क्रय सम्बन्धी निविदों से सम्बन्धित कार्यवाही अधिकारियों के सम्मुख लाना, समय–समय पर जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।

		5. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (निगरानी) **1 पद**	समय–समय पर लगने वाले कीट एवं रोग के बारे में निर्देश जारी कराना, क्षेत्रों में लगने वाले कीट/रोगों की सूचना उच्च अधिकारियों के सम्मुख लाना, किसी बड़े महामारी/कीट प्रकोप की सम्भावना को देखते हुए उच्च अधिकारीयों के सम्मुख रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी करवाना, फसलों को कीट रोगों से बचाने हेतु समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करवाना।
		6. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (गुण नियंत्रण) **1 पद**	उर्वरक कीट एवं रोगनाशी रसायनों सूक्ष्म पोषक तत्व एवं बीज आदि के समय–समय पर लिये जाने वाले नमूनों के लिए निर्देश जारी कराना, समय–समय पर लिये गये नमूनों की सूचना एकत्रित करना तथा उसकी स्थिति उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, किसी भी परीक्षण के अमानक होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध गुण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना, प्रयोगशालाओं में परीक्षण पर लगने वाले रसायनों की मांग एवं पूर्ति का विवरण उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, आवश्यकता अनुसार उपकरणों की ई0एम0सी0 की कार्यवाही कराना।
		7. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (मृदा परीक्षण) **1 पद**	मृदा परीक्षण से सम्बन्धित शासन एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों को जनपदों को भेजना, मृदा परीक्षण हेतु आवश्यक रसायनों एवं उपकरणों की मांग, आपूर्ति अधिकारियों के सम्मुख रखना, प्रयोगशालाओं से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर अधिकारियों के सम्मुख रखना आदि मृदा परीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य।
		8. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (धान्य फसलें, स्थानीय प्रजातियां, नकदी फसलें एवं कृषि यंत्र) **1 पद**	भारत सरकार द्वारा समय–समय पर धान्य फसलों जैसे गेंहू, धान, मक्का आदि के उत्पादन बढ़ाने हेतु जारी सुविधाओं को जनपदों को भिजवाना धान्य फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु क्षेत्र के अनुसार उचित फसल प्रबन्धन अधिकारियों के संज्ञान में लाना तथा निर्देशानुसार जनपदों को भिजवाना, इन फसलों पर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर देय अनुदान की जानकारियां जनपदों को पहुँचाना, स्थानीय प्रजातियां जैसे–मंडुवा, सांवा, रामदाना आदि एवं नकदी फसलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों के सम्मुख रखना, इन फसलों को बढ़ावा देने हेतु यथा आवश्यक प्रदर्शनों एवं धनराशि की मांग करना, स्वीकृति की दशा में जनपदों को पहुँचाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
		9. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (नियोजन) **1 पद**	विभिन्न योजनायें तैयार करना। समय–समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यों का नियोजन करना, उन्हें अधिकारियों के सम्मुख रखना, जनपदों से कार्य के प्लान मांगना उसके औचित्य सहित अधिकारियों के सम्मुख रखना, भारत सरकार को समय–समय पर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भेजना, प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों को बनाना तथा उन्हें उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, रोजगार परक फसलों के उत्पादन की कार्य योजना तैयार करना

			समय–समय पर चलायी जा रही योजनाओं की कार्य योजनायें तैयार कर उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना तथा उन्हें जनपदों को भिजवाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना।
		10. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (तकनीकी सम्प्रेक्षण) 1 पद	क्षेत्र में कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का समय–समय पर तकनीकी आडिट किया जाता है। अतः सम्बन्धित कर्मचारी तकनीकी टीम के साथ निर्दिष्ट क्षेत्रों मे तकनीकी सम्प्रेक्षण हेतु जायेगी तथा टीम के साथ साथ सम्प्रेक्षण का कार्य करेगी, तकनीकी आडिट के बाद रिपोर्ट को संकलित कराने में सहयोग करेगी, समय–समय पर तकनीकी आडिट के कारण प्रकाश में अयी हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में तकनीकी आख्या देना।
		11. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण) 1 पद	समय–समय पर विभाग में नवीनतम योजनायें एवं नवीनतम कार्यक्रम संचालित किये जाते है अधिकारी का दायित्व होगा कि वह योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक निर्देश बनाते हुये उन्हें उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखे, समय–समय पर समाचार पत्रों, विज्ञापन ऐजंसियों एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रचारित किये जाने वाले सामग्री का संकलन कर उसको सम्बन्धित ऐजंसियों को सुनिश्चित तरीके से उपलब्ध कराना, विभाग द्वारा विभिन्न एजंसियों को जो प्रचार–प्रसार सामग्री दी जाती है को सुनिश्चित कराना, समय–समय पर लगने वाले मेले, स्टालो एवं महोत्सवों हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार की सामाग्री को उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखते हुये व्यवस्था करना।कृषि कर्मचारियों को समय–समय पर भूमि एवं जल संरक्षण, आई0पी0एम0 गुण नियंत्रण, फसलोत्पादन, जैविक कृषि, अन्न भण्डारण आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, इन प्रशिक्षणों का रोस्टर बनाना उसे उच्चाधिकारियों से स्वीकृत कराकर जनपदों को भिजवाना, प्रशिक्षण के बाद कर्मचारिवार प्रशिक्षण की रिपोर्ट रखना, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित कराये जाने वाले प्रशिक्षणों का ब्यौरा रखते हुए प्रशिक्षणों का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखते हुए उसे जनपदों तक भिजवाना। खरीफ, रबी एवं जायद से पूर्व लक्ष्यों/अभियान की बुकलेट तैयार करना एवं समय–समय पर प्राप्त सभी प्रगति सूचनाओं का संकलन कर तैयार करना।
		12. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (जलागम) 1 पद	भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धि भारत सरकार एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों को जनपद स्तर पर भिजवाना, विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि के अनुसार किये जाने वाले कार्यों की स्थिति उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखना, क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करना तथा उन्हें उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखना आदि कार्य।
	योग	12 पद	

2.	मण्डल स्तर अपर कृषि निदेशक, पौड़ी एवं संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (सामान्य) **2 पद** (अ0कृ0नि0, पौड़ी–1 सं0कृ0नि0, हल्द्वानी–1)	जनपदों से बीज उर्वरक, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन आदि की मांग एकत्र करना, उसे निदेशालय स्तर को भेजना। वितरित कृषि निवेशों की सूचनायें जनपद से मंगा कर उसका संकलन तैयार कर निदेशालय स्तर को भेजना, प्रदर्शन कीट/रोग एवं प्रशिक्षण आदि की जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर निदेशालय को भेजना। संयुक्त कृषि निदेश/अपर कृषि निदेशक के निर्देशानुसार क्षेत्रों में निरीक्षण /सत्यापन का कार्य करना। यह कर्मी कृषि एवं कृषि रक्षा रक्षा, प्रक्षेत्र आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संकलन आदि करेगा।
		2.सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (भूमि एवं जलसंरक्षण) **2 पद** (अ0कृ0नि0, पौड़ी–1 सं0कृ0नि0, हल्द्वानी–1)	उच्च स्तर से भूमि संरक्षण, जल संरक्षण सम्बन्धी प्राप्त निर्देशों को जनपदों को भिजवायेंगे तथा जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे। अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देशानुसार समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण, सत्यापन एवं निरीक्षण आदि कार्य।
		योग– 4 पद	
3.	**जनपद (मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय)**	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (सामान्य) **13 पद** (प्रत्येक जनपद में एक पद)	बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि निवेशों की व्यवस्था बनाना। विकास खण्डों/तहसीलों से प्राप्त मांग को संकलित कर निदेशालय/मण्डल स्तर पर भेजना तथा मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा आपूर्ति होने पर विकास खण्डों/न्याय पंचायतों को आंवटित करना। समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षणों का विकास खण्डवार आयोजन करना एवं विकास खण्डों एवं तहसीलों से प्राप्त प्रदर्शन परिणाओं एवं सूचनाओं का संकलन कर मण्डल एवं निदेशालय को उपलब्ध कराना, समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना। ।
		2. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (कृषि रक्षा) **13 पद** (प्रत्येक जनपद में एक पद)	विकास खण्डों से कृषि, कीट नाशक, रोग नाशक, खरपतवार नाशक एवं फफूंद नाशक आदि रसासनों की मांग एकत्रित करना एवं उसे मण्डल एवं प्रदेश स्तर को भिजवाना तथा आपूर्ति सुनिश्चित कराना। क्षेत्र में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों के नियंत्रण हेतु समय–समय पर प्राप्त निर्देशों को क्षेत्र स्तर पर पहुँचाना किसी भी कीट/रोग के नियंत्रण हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही कराना। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का आवंटन एवं क्षेत्र से प्राप्त प्रदर्शन परिणाओं को संकलित कर मण्डल एवं राज्य स्तर को भेजना, समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना। आदि कार्य।

		3. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (भूमि एवं जल सरंक्षण) **13 पद** (प्रत्येक जनपद में एक पद)	प्रदेश एवं मण्डल स्तर से भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी प्राप्त निर्देशों को विकास खण्ड/तहसील स्तरों तक भेजना। स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी करना। क्षेत्र में किये गये कार्यों की सूचना एकत्रित कर संकलित करना तथा मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर सूचना भेजना। समय–समय पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण, सत्यापन आदि का कार्य करना।
		योग– 39 पद	
4.	**कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी** कार्यालय (इकाई/तहसील)	**1. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** **35 पद** प्रत्येक कार्यालय में 1 पद	कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763/XIII-1/2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।
		योग–35 पद	
5.	**विकास खण्ड स्तर**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** **95 पद** (प्रत्येक विकासखण्ड में एक पद)	कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763/XIII-1/2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।
		योग–95 पद	
6.	**उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (विश्लेषक उर्वरक) **4 पद**, **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (विश्लेषक कीटनाशी) **4 पद** एवं **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (तकनीशियन) **2 पद कुल–10 पद**	उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर एवं रूद्रपुर–प्रत्येक में 2 कुल–4 पद, कीटनाशी गुण नियुत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर एवं रूद्रपुर–प्रत्येक में 2 कुल 4 पद, सहायक कृषि अधिकारी (तकनीशियन उपकरण) श्रीनगर–1 एवं रूद्रपुर–1 कुल–2 पद) प्रयोगशालाओं में उर्वरक, सूक्ष्मतत्व, कीट रोग एवं खरपतवारनाशी आदि प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना, अभिलेख रखना तथा विश्लेषण की सूचना सम्बन्धितों को भेजना। सहायक कृषि अधिकारी तकनीशियन का कार्य प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु रखे गये उपकरणों की देख–रेख एवं उनसे सुव्यवस्थित कार्य लिया जा सके को देखना आदि।
7.	**मृदा परीक्षण प्रयोगशाला**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (मृदा परीक्षण) **15 पद** (11 जनपदों में प्रत्येक में एक–एक पद एवं दो मण्डलीय प्रयोगशाला रूद्रपुर एवं श्रीनगर में दो–दो पद)	कृषकों से, न्याय पंचायतों, विकास खण्डों से प्राप्त मिट्टी के नमूनों की जांच करना, इनके परिणाम बनाना, अभिलेख रखना एवं विश्लेषित परिणामों को प्रेषक स्रोतों को वापस करना। कम्पोष्ट खाद, वर्मी कम्पोष्ट एवं जैविक खाद का विश्लेषण करना। प्रयोगशाला के उपकरणों की देखरेख एवं व्यवस्थित करना, ताकि इनसे सही प्रकार से कार्य कर सके। परीक्षण हेतु आवश्यक रसायनों एवं उपकरणों की मांग भेजना एवं उसकी व्यवस्था करना आदि कार्य।

8.	आई0पी0एम0 प्रयोगशाला	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (आई0पी0एम0) 4 पद (दो पद आई0पी0एम0 लैब, भीमताल एवं दो पद आई0पी0एम0 लैब, देहरादून)	इन्टीग्रेटीव प्रेस्ट मैनीजमेंट (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन) के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों को करना। नाशी जीव प्रबन्धन को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखना। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में आपूर्ति करना। प्रयोगशाला से खेतों तक परीक्षण करना एवं प्रयोगशाला उपकरणों का उचित देख–रेख करना।
9.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (बीज परीक्षण) 2 पद	बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के बीज के नमूनों की जांच करना जिसमें आकस्मिक छापे के दौरान भेजे गये नमूने, सैंपलिंग के रूप में लिये गये नमूने एवं कृषकों द्वारा प्रेषित नमूने सम्मलित है। प्राप्त नमूनों का विश्लेषण कर इनके अभिलेख रखना एवं विश्लेषण की सूचना प्राप्त स्रोत को भेजना। प्रयोगशाला उपकरणों का सुनिश्चित रख–रखाव आदि कार्य शामिल हैं।
10.	प्रशिक्षण केन्द्र	1. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रशिक्षण) 5 पद	प्रदेश में वर्तमान में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी में है, जिसमें समय–समय पर अधिनस्थ कृषि के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में कृषि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाये जाते है। जिसमें भूमि संरक्षण, जल प्रबन्धन, फसलोंत्पादन, मृदा विज्ञान, श्स्य विज्ञान, ड्राई फार्मिंग, कृषि रक्षा एवं जैविक कृषि आदि विषय पढ़ाये जाते हैं एवं सम्बन्धित पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों को समय–समय पर नवीनतकनीकी जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। केन्द्र पर नियुक्त कृषि अधिकारी वर्ग–1 विभिन्न विषयों पर तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।
11.	सम्मागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	1. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (अनुसंधान) 3 पद	विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से समय–समय पर विभिन्न प्रकार की फसलों एवं प्रजातियों के ट्रायल परीक्षण हेतु भेजे जाते है। इन ट्रायलों का प्रदेश की विभिन्न जलवायु में बोकर परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए यह ट्रायल प्रदेश में स्थित विभिन्न छः फार्मो में कराये जाते है इन ट्रायलो का तकनीकी परीक्षण करना होता है, ताकि इसके वास्तविक परिणाम सामने आये। इन परिणामों के आधार पर इन परिणामों को बीज विमोचन समिति के सम्मुख रखा जाता है, समिति द्वारा उच्चीत प्रजाति को अथवा सफल प्रजाति को क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह विशिष्ठ एवं तकनीकी प्रकार का कार्य है। वरिष्ठ तकनीकी जानकारी वाले कर्मचारी स्वयं की देख–रेख में परीक्षणों का आयोजन करायेंगे तथा इनके परिणाम शोध संस्थान/विश्वविद्यालयों /विभाग को प्रेषित करायेंगे।

12.	विपणन	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (ज्येष्ठ रसायनज्ञ एवं विपणन) जनपद देहरादून एवं नैनीताल प्रत्येक में एक–एक **कुल–2** **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (विपणन)** हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर प्रत्येक में एक–एक **कुल–2** **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1** (वर्गीकरण) रामनगर 1 किच्छा 1,काशीपुर 1, मंगलौर 1, रूड़की 1 **कुल–5** **कुल योग–9**	एगमार्क प्रयोगशाला तथा मुख्य कृषि अधिकारी के अधिष्ठान देहरादून एवं नैनीताल–सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (विपणन/जेष्ठ रसानज्ञ) का एक–एक पद, मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान में मण्डी स्तर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (विपणन) हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर प्रत्येक में एक–एक पद तथा मुख्य कृषि अधिकारी अधिष्ठान में मण्डी स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (वर्गीकरण) के पांच पद, (रामनगर, किच्छा, काशीपुर, मंगलौर, रूड़की–प्रत्येक में एक–एक पद) विपणन में प्रत्येक दिन अनाजों एवं सब्जियों की दर मण्डियों से संकलित करना उन्हें प्रत्यके सप्ताह प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को सूचित करना। बाजार में उपलब्ध उत्पादों को वर्गीकृत करना तथा उनकी दर निर्धारत करवाना। नई मण्डीयों को खोलने हेतु मण्डी के साथ सहयोग करते हुये सर्वेक्षण करना। प्रयोगशालाओं में एगमार्क की ग्रेडिंग करना, कामर्शियल ग्रेडिंग करना, दर सत्यापित कर डब्ल्यू0पी0डी0 को भेजना आदि कार्य।
		वर्ग–1 का कुल योग– 233 पद	
वर्ग–2 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2			
13.	निदेशालय	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (विधायी/तिलहन दलहन एवं व्यवस्था) 01 पद	तिलहनीय एवं दलहनीय फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना तथा उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखना, स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाना, भारत सरकार से एवं प्रदेश सरकार से इन फसलों के सुधार हेतु जो भी प्रयास आते है उन्हें जनपदों तक पहुँचाना, समय–समय पर आयोजित करने के लिए निर्देश जारी कराना प्राप्त फसल परिणामों की समीक्षा प्रदेश में दलहनी/तिलहनी फसलों के लिए कार्य योजनायें तैयार करना तथा उच्च स्तर से स्वीकृति के बाद जनपदों को भिजवाना, जनपदों से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रगतियों को संकलित कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना। निदेशालय स्तर पर लोकसभा, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त करना एवं प्रेषित करना। निदेशालय स्तर पर विभिन्न आवश्यक व्यवस्थायें, वी0आई0पी0 कार्यक्रम आदि सम्मिलित रहेंगे।
14.	जनपद	1. **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (कृषि निवेश, आपूर्ति) **09 पद** जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष जनपदों में एक–एक पद, उपरोक्त अंकित 4 जनपदों में	प्रदेश स्तर से आवंटन के अनुसार विभिन्न बीज उत्पादक श्रोतों प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर से आंवटित बीजों का उठान कर जनपद के बफर में लाना जनपद के बफर से विकास खण्डों के भण्डारों तक रबी, खरीफ एवं जायद की बुवाई से पूर्व समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना। कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा यंत्रों, जैव उर्वरकों, सूक्ष्म तत्वों का उठान प्रदेश से प्राप्त आवंटनानुसार करना तथा विकास खण्डों को आवंटनानुसार समय से आपूर्ति करना। भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी सामग्री

		जनपद मुख्यालय में आने वाले विकासखण्ड का सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (भण्डार प्रभारी) जनपद के लिए भी कृषि निवेश आपूर्ति का कार्य करेगा।	की आपूर्ति प्राप्त करना तथा उसे सम्बन्धित विकास खण्डों तक पहुँचाना। समस्त प्राप्त सामाग्री के विरूद्ध स्टोर रसीद निर्गत करना, आपूर्तित भण्डारों को बिल निर्गत करना, उनसे भण्डार रसीदें प्राप्त करना, वर्ष के अन्त में सम्बन्धित की बैंलेस सीट तैयार करना एवं मुख्य कृषि अधिकारी के सम्मुख रखना आदि कार्य।
		2. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (प्रक्षेत्र प्रबन्धन) **6 पद** प्रत्येक कृषि प्रक्षेत्र पर एक पद–खटीमा, रूद्रपुर, (उधमसिंहनगर) थल (पिथौरागढ़) नौथा(टिहरी) पंवालिया (रूद्रप्रयाग) सिरोर (उत्तरकाशी) एवं ढ़करानी (देहरादून)	प्रदेश में छः राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति एवं जैविक बीजों के उत्पादन का कार्य होता है। इस कार्य हेतु बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक प्रक्षेत्र पर एक पद रखा गया है। जिसका उत्तरदायित्व होगा कि प्रक्षेत्र की जलवायु एवं मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देशानुसार उचित प्रजातियों की मांग करना, उनका उत्पादन करना, उनका प्रमाणिकरण कराना तथा विधायन के बाद वितरण हेतु कृषि निदेशक के निदेशानुसार उपलब्ध कराना। फार्म सम्बन्धी समस्त कार्यों अभिलेखों का रखरखाव और सम्पति की देख–रेख एवं प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैलेंस सीट बनाकर प्रस्तुत करना आदि कार्य।
		योग–15	
15.	**कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी** (इकाई / तहसील स्तर)	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** **35 पद** प्रत्येक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में एक–एक पद	कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763 / XIII-1 / 2008–03(08) / 2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।
16.	**विकास खण्ड**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (कृषि निवेश आपूर्ति) **95 पद**	कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763 / XIII-1 / 2008–03(08) / 2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।
17.	**न्याय पंचायत**	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** **187 पद**	(विवरण निम्न प्रकार है प्रदेश के प्रत्येक मैदानी न्याय पंचायतों पर–जनपद देहरादून में डोईवाला–5, सहसपुर–6, विकासनगर–5, रायपुर–6, कालसी–4 **कुल 26** जनपद हरिद्वार की **समस्त 46,** जनपद ऊधमसिंहनगर की **समस्त 27,** जनपद नैनीताल में विकासखण्ड हल्द्वानी की 6 रामनगर की 5 कोटाबाग की 2 **कुल 13** तथा शेष विकास खण्ड मुख्यालय की 76 न्याय पंचायतों पर–एक–एक **कुल योग–187**) कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763 / XIII-1 / 2008–03(8) / 2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।

18.	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला गढ़वाल एवं कुमॉऊ	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (विश्लेषक उर्वरक) **7 पद,** **सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2**(विश्लेषक कीटनाशी) **7 पद कुल 14 पद** (उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर–3, रूद्रपुर–4, कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, श्रीनगर–3, रूद्रपुर–4)	इन प्रयोगशालाओं में कीट रोग एवं खरपतवार नाशी उर्वरक एवं सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण होता है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के साथ सहयोग करते हुए करना। परीक्षण रिपोर्ट की सूचना तैयार करना, अभिलेखों का रख रखाव एवं प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना।
19.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (मृदा परीक्षण) **39 पद**	जनपदीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला चम्पावत्–2 बागेश्वर–2 रूद्रप्रयाग–2, अल्मोड़ा–3 नैनीताल–3 पिथौरागढ़–3 चमोली–3 टिहरी–3 उत्तरकाशी–3 देहरादून–3, हरिद्वार–3 एवं क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (पौड़ी)–4,उधमसिंहनगर–5 कर्मचारी तैनात किये गये हैं। सम्बन्धित प्रयोगशालाओं में कृषकों के खेतों से प्राप्त मृदा नमूनों आदि का विश्लेषण करेंगे। मृदा संचल वाहन क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर एवं श्रीनगर में रखे गये है। इन वाहनों हेतु इन जनपदों की प्रयोगशालाओं में तैनात कर्मचारी ही वाहनों में बैठकर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तथा यथासम्भव कृषकों के सम्मुख ही मृदा परीक्षण कर अवगत करायेंगे।
20.	आई0पी0एम0 प्रयोगशाला	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (आई0पी0एम0) 4 पद** (ढकरानी–2, भीमताल–2)	इन्टीग्रेटीव प्रेस्ट मैनीजमेंट (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन) के अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के सहयोग से करना। एकीकृत नाशि जीव प्रबन्धन को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखना। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र में आपूर्ति करना। प्रयोगशाला से खेतों तक परीक्षण करना।
21.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (बीज परीक्षण) **2 पद**	बीज परीक्षण प्रयोगशाला में प्राप्त बीजों के नमूनों का सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के सहयोग से परीक्षण करना। जमाव प्रतिशत, शुद्धता आदि का परीक्षण करना। इसकी सूचना तैयार करना एवं अभिलेख तैयार करना।
22.	प्रशिक्षण केन्द्र	**सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2** (प्रशिक्षण) **2 पद**	वर्तमान में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी में स्थित है। जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाते है। यह कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी अधिकारी का सहयोग करते हुए प्रशिक्षण का कार्य सम्पादन करेंगे।

23.	सम्भागीय प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (प्रदर्शन एवं शोध) 3 पद	विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से समय–समय पर विभिन्न प्रकार की फसलों एवं प्रजातियों के ट्रायल परीक्षण हेतु भेजे जाते है। इन ट्रायलों का प्रदेश की विभिन्न जलवायु में बोकर परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए यह ट्रायल प्रदेश में स्थित विभिन्न छः फार्मों में कराये जाते है इन ट्रायलो का तकीनकी परीक्षण कराना होता है, ताकि इसके वास्तविक परिणाम सामने आये। इन परिणामों के आधार पर परिणामों को बीज विमोचन समिति के सम्मुख रखा जाता है, समिति द्वारा उचित प्रजाति को अथवा सफल प्रजाति को क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित किया जाता है। इन कर्मचारियों द्वारा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 के निर्देशन/सहयोग से उक्त के क्रम में विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन एवं परीक्षण किया जायेगा तथा इनके परिणामों का अभिलेखन किया जायेगा।
24.	विपणन	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 (वर्गीकरण) विकासनगर 1 ऋषिकेश 1, कोटद्वार 1 सितारगंज 1, गदरपुर 1, खटीमा 1, बाजपुर 1 कुल– 7	प्रदेश में मुख्य कृषि अधिकारी के अधीन कृषि विपणन के मण्डी स्तर हेतु जहाँ पर कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक आनाजों एवं सब्जियों की दर संकलित की जाती है तथा दर सत्यापित कर डब्ल्यू0पी0डी0 को भेजी जाती है।
		वर्ग–2 का कुल योग– 404 पद	
वर्ग–3 सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3			
25.	न्याय पंचायत	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 483 पद	पर्वतीय क्षेत्र की न्याय पंचायतों में तैनाती की जायेगी। कार्यदायित्व शासनादेश सं0 763/XIII-1/2008–03(8)/2008 दिनांक 20 नवम्बर, 2008 में दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–5

सिंगल विण्डों सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें हैं। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में भी काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यों के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण/जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यों का पृथक–पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

1. वर्तमान परिदृष्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनीकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।
2. पूर्व ढॉचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढॉचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सके।
3. क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहे थे, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया।
4. कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे–बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर सामन्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।
5. पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।
6. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।
7. उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।
8. कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
9. कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

10. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।

11. जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।

12. कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध केन्द्रो, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। **ताकि लैव टू फील्ड एवं फील्ड टू लैव के पैर्टन पर तथा ट्रेंनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सके।** इसके लिए लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुद्धढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथावा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जो समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्र एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा तथा किसान कॉल सेन्टर/टालफ्री नम्बर के माध्यम से भी कृषकों की समस्याओं के समाधन करेगा।

13. न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवों का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिकी आदि के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में उसका तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन आरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप से लागू हो सके। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।

14. न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।

15. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार–प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।

16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा, जहां आवश्यकतानुसर पर कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

शासनादेश संख्या 481/कृषि–3(8)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 का संलग्नक–6

अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग वर्ग–1, 2 एवं वर्ग–3 (अभियंत्रण एवं सांख्यिकी शाखा को छोड़कर) के वेतनमान का विवरणः–

पदनाम	छठवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (रु0 में)	अभ्युक्ति
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	9,300–34,800 वेतन ग्रेड 4200	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुए हैं।
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2	5,200–20,200 वेतन ग्रेड 2800	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुए हैं।
सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3	5,200–20,200 वेतन ग्रेड 2000	पुनर्गठन के फलस्वरूप केवल पदनाम परिवर्तित हुए हैं।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 कृषि/322–2010–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।